



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 13 ]

नई दिल्ली, मार्च 23—मार्च 29, 2008, शनिवार/चैत्र 3—चैत्र 9, 1930

No. 13]

NEW DELHI, MARCH 23—MARCH 29, 2008, SATURDAY/CHAITRA 3—CHAITRA 9, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2008

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियमावली, 2008 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 की अनुसूची में भाग II में क्रम संख्या 22 और 23 तथा इससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1	2	3	4	5
"22	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा, समूह 'ख'	महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	(i) महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सभी (i) से (iv) तक

1	2	3	4	5
23	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा, समूह 'ख' निर्माण विभाग	महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	(i) महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सभी (i) से (iv) तक''

[फा. सं. 11012/10/2004-स्था.(क)]

ए. बलराम, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मुख्य नियम दिनांक 20 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्था.(क) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित संख्याओं के तहत अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे :-

का.आ. 1149 दिनांक 13 अप्रैल, 1966  
का.आ. 1596 दिनांक 4 जून, 1966  
का.आ. 2007 दिनांक 9 जुलाई, 1966  
का.आ. 2648 दिनांक 2 सितम्बर, 1966  
का.आ. 2854 दिनांक 1 अक्टूबर, 1966  
का.आ. 1282 दिनांक 15 अप्रैल, 1967  
का.आ. 1457 दिनांक 29 अप्रैल, 1967  
का.आ. 3253 दिनांक 16 सितम्बर, 1967  
का.आ. 3530 दिनांक 7 अक्टूबर, 1967  
का.आ. 4151 दिनांक 25 नवम्बर, 1967  
का.आ. 321 दिनांक 9 मार्च, 1968  
का.आ. 1441 दिनांक 27 अप्रैल, 1968  
का.आ. 1870 दिनांक 1 जून, 1968  
का.आ. 3423 दिनांक 28 सितम्बर, 1968  
का.आ. 5008 दिनांक 27 दिसम्बर, 1969  
का.आ. 397 दिनांक 7 फरवरी, 1970  
का.आ. 35217 दिनांक 25 सितम्बर, 1971  
का.आ. 249 दिनांक 1 जनवरी, 1972  
का.आ. 990 दिनांक 22 अप्रैल, 1972  
का.आ. 1600 दिनांक 1 जुलाई, 1972  
का.आ. 2789 दिनांक 14 अक्टूबर, 1972  
का.आ. 929 दिनांक 31 मार्च, 1973  
का.आ. 1648 दिनांक 6 जुलाई, 1974  
का.आ. 2742 दिनांक 31 जुलाई, 1976  
का.आ. 4664 दिनांक 11 दिसम्बर, 1976  
का.आ. 3062 दिनांक 8 अक्टूबर, 1977  
का.आ. 3573 दिनांक 26 नवम्बर, 1977  
का.आ. 3574 दिनांक 26 नवम्बर, 1977

का.आ. 3671 दिनांक 3 दिसम्बर, 1977  
का.आ. 2464 दिनांक 2 सितम्बर, 1978  
का.आ. 2465 दिनांक 2 सितम्बर, 1978  
का.आ. 920 दिनांक 17 फरवरी, 1979  
का.आ. 1769 दिनांक 5 जुलाई, 1980  
का.आ. 264 दिनांक 24 जनवरी, 1981  
का.आ. 2126 दिनांक 8 अगस्त, 1981  
का.आ. 2203 दिनांक 22 अगस्त, 1981  
का.आ. 2512 दिनांक 3 अक्टूबर, 1981  
का.आ. 168 दिनांक 23 जनवरी, 1982  
अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था.(क) दिनांक 5 जुलाई, 1985  
अधिसूचना सं. 11012/05/85-स्था.(क) दिनांक 29 जुलाई, 1985  
अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था.(क) दिनांक 6 अगस्त, 1985  
का.आ. 5637 दिनांक 21 दिसम्बर, 1985  
का.आ. 5743 दिनांक 28 दिसम्बर, 1985  
अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था.(क) दिनांक 26 नवम्बर, 1986  
का.आ. 830 दिनांक 28 मार्च, 1987  
का.आ. 831 दिनांक 28 मार्च, 1987  
का.आ. 1591 दिनांक 27 जून, 1987  
का.आ. 1825 दिनांक 18 जुलाई, 1987  
का.आ. 3060 दिनांक 15 अक्टूबर, 1988  
का.आ. 3061 दिनांक 16 अक्टूबर, 1988  
का.आ. 2207 दिनांक 16 सितम्बर, 1989  
का.आ. 1084 दिनांक 28 अप्रैल, 1990  
का.आ. 2208 दिनांक 25 अगस्त, 1990  
का.आ. 1481 दिनांक 13 जून, 1992  
सा.का.नि. 289 दिनांक 20 जून, 1992/भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i)  
सा.का.नि. 589 दिनांक 26 दिसम्बर, 1992  
सा.का.नि. 499 दिनांक 8 अक्टूबर, 1994  
सा.का.नि. 276 दिनांक 10 जून, 1995  
सा.का.नि. 17 दिनांक 20 फरवरी, 1996  
सा.का.नि. 125 दिनांक 16 मार्च, 1996  
सा.का.नि. 417 दिनांक 5 अक्टूबर, 1996  
सा.का.नि. 337 दिनांक 2 सितम्बर, 2000  
सा.का.नि. 420 दिनांक 28 अक्टूबर, 2000  
सा.का.नि. 211 दिनांक 14 अप्रैल, 2001  
सा.का.नि. 60 दिनांक 13 फरवरी, 2002  
सा.का.नि. 2 दिनांक 3 जनवरी, 2004  
सा.का.नि. 113 दिनांक 10 अप्रैल, 2004  
सा.का.नि. 225 दिनांक 10 जुलाई, 2004  
सा.का.नि. 287 दिनांक 28 अगस्त, 2004 और  
सा.का.नि. 1 दिनांक 20 दिसम्बर, 2004